

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

पटना, दिनांक 17/10/2017


संख्या-3/टि0-01-08/2017- 614(3) /स्वा0, राज्य में बाढ़ की स्थिति से निपटने हेतु कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, पटना के आवश्यक सहयोग हेतु विभागीय आदेश सं0 458(3) दिनांक 16.08.2017 द्वारा निम्नांकित अपर निदेशक (मुख्यालय) को राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, पटना में अगले आदेश तक प्रतिनियुक्त किया गया था ।

क्र0 सं0	पदाधिकारी का नाम	पदनाम
1.	डा0 कृष्ण मोहन पूर्वे	अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना
2.	डा0 नन्द कुमार मिश्रा	अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना
3.	डा0 नरेन्द्र भूषण	अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना
4.	डा0 नागेश्वर प्रसाद	अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना ✓
5.	डा0 सकलदीप चौधरी	अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना ✓
6.	डा0 नरेश कुमार	अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना
7.	डा0 गणेश महतो	अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना ✓
8.	डा0 शिवकुमार राजन	अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना ✓

2. विभाग में लोक सूचना पदाधिकारी एवं जाँच कार्य तथा न्यायालयीय कार्य करनेवाले उपर्युक्त क्रम सं0 4, 5, 7 एवं 8 पर अंकित चिकित्सा पदाधिकारियों को उक्त प्रतिनियुक्ति से मुक्त किया जाता है । शेष चिकित्सा पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति यथावत रहेगी ।

3. प्रस्ताव में प्रधान सचिव, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है ।

4. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।


(जगदीश कुमार)
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक : 614(3)

/स्वा0, पटना, दिनांक : 17/10/17

प्रतिलिपि : कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, पटना/सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/सभी सिविल सर्जन, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


प्रतिलिपि : सभी संबंधित अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : विभाग में पदस्थापित सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : प्रशाखा पदाधिकारी-03 एवं 05 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


विशेष कार्य पदाधिकारी